बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

पत्रांक-6/वि0वि0-1083/2006- 8771

प्रेषक,

दयाशंकर मिश्र,

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायती राज विभाग,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 17/12/19

विषय:- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित कार्यो के लिए त्रिस्तरीय पंयायतों को शक्तियों के प्रतिनिधायन से संबंधित विभागयी संकल्प के प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित कार्यो के लिए त्रिस्तरीय पंयायतों को शक्तियों के प्रतिनिधायन से संबंधित विभाग द्वारा निम्नलिखित संकल्प निर्गत किए गए है:-

क्र0 सं0	संकल्प सं0	निर्गत की तिथि
1	1169	24.09.2001
2	541	25.01.2003
3	5875	17.11.2004
4	1774	26.11.2007

उपरोक्त विभागीय संकल्प की छायाप्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

(दयाशंकर मिश्र)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

59

464

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संकल्प संख्या - 6/आस्वा01-108/2001 - 5875 - पटना, दिनांक:- 17.11.04

विषय:- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित कार्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को शक्तियों के प्रतिनिधायन से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या - 6/वि01-102/2001 - 1169, पटना, दिनांक - 24.09.2001 में आंशिक संशोधन ।

बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद को ग्रामीण पेयजलापूर्ति एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधित कार्यों के संबंध में शक्तियों का प्रतिनिधायन किया गया है । सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित कार्यों के लिए शक्तियों का प्रतिनिधायन विभागीय उपरोक्त विषयांकित संकल्प द्वारा किया गया था । उस संकल्प की कंडिका-3 जो ग्राम पंचायत (चापाकलों के निर्माण एवं स्थल चयन) से संबंधित है में सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा माननीय विधायकों की अनुशंसा पर लगाये जाने वाले चापाकलों के संदर्भ में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है । सरकार के निर्णय के अनुसार पूर्व में निर्गत किये गये संकल्प संख्या - 6/वि01-102/2001 - 1169, पटना, दिनांक - 24.09.2001 की कंडिका - 3 के अंश में निम्न प्रकार संशोधन किये जाते हैं-

मूल सुसंगत अंश

3. ग्राम पंचायत का कार्य/शक्ति

क्र0	विषय	कार्य/शक्ति
1.	ग्रामीण जलापूर्ति (चापाकल)	1.(ख) नये चापाकलों के स्थल चयन एवं निर्माण का दायित्व ग्राम पंचायत का होगा ।

संशोधित सुसंगत अंश

3. ग्राम पंचायत का कार्य/शक्ति

क्र0	विषय	कार्य/शक्ति
1.	ग्रामीण जलापूर्ति (चापाकल)	1.(ख) नये चापाकलों के स्थल चयन एवं निर्माण का दायित्व ग्राम पंचायत का होगा, (मार्च 2001 में बिहार विधान सभा में राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के फलस्वरूप माननीय विधायकों की अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायत में पाँच-पाँच अदद चापाकलों की दर से अधिष्ठापन हेतु राज्यादेश पत्रांक-1998, दिनांक - 29.03.03 द्वारा स्वीकृत योजना में निहित चापाकलों को छोड़कर)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(60)

(अरूण कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक- 6/आस्था01-108/2001 - 5875 दिनांक - 17-11-04

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य राजस्व परिषद/वित्त आयुक्त/अपर वित्त आयुक्त/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सचिव, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन एवं पंचायत राज/मंत्रिमंडल सचिवालय/आयुक्त एवं सचिव (सभी प्रशासी विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
2. सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितं ।
4. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (नागरिक)/मुख्य अभियंता(यॉत्रिक)/विशेष पदाधिकारी/ प्रा0स0(ग्रामीण)/ संयुक्त सचिव/ संयुक्त सचिव (प्र0को0)/ उप निदेशक(मू0)/ अन्वेषण/कार्यपालक अभियंता(मो0)/ (मो0/मू0)/ विशेष पदाधिकारी के तकनीकी सलाहकार/ परियोजना पदाधिकारी/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
6. अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करावें ।

(अरूण कुमार सिंह)
सचिव

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संकल्प संख्या – 6/आश्वा0–1–108/2001(खंड) – 1774 पटना, दिनांक 26/11/07

विषयः– राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकलों के निर्माण हेतु स्थल चयन में पारदर्शिता लाने के लिए पंचायत स्तर पर स्थल चयन समिति का गठन ।

1. बिहार पंचायत राज अधिनियम–1993 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–1169, दिनांक 24.09.2001 के द्वारा चापाकलों के निर्माण एवं स्थल चयन हेतु शक्तियों का प्रतिनिधायन पंचायतों को किया गया है। विभागीय संकल्प संख्या –2235, दिनांक 30.05.2005 के द्वारा उपर्युक्त संकल्प में आंशिक संशोधन किये गये हैं, जिसके आलोक में चापाकलों के निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है तथा स्थल चयन का दायित्व पंचायतों को है।

2. पंचायत स्तर पर चापाकलों के निर्माण हेतु स्थल चयन की प्रकिया को और पारदर्शी एवं जनोपयोगी बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की गई। इस हेतु स्थल चयन की प्रक्रिया में संबंधित ग्राम /टोलों के प्रतिनिधि की भागीदारी भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

3. अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकलों के निर्माण हेतु स्थल चयन में पारदर्शिता लाने के लिए पंचायत स्तर पर स्थल चयन समिति का गठन निम्नप्रकार से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(i) पंचायत अतर्गत संबंधित टोला/ टोलों के निर्वाचित वार्ड सदस्य – सदस्य
(ii) पंचायत सचिव – सदस्य
(iii) विभाग के कनीय अभियंता – संयोजक

4. चापाकलों के निर्माण हेतु स्थल चयन में संबंधित टोला के निर्वाचित वार्ड सदस्य की सहमति अनिवार्य होगी ।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों /विभागाध्यक्षों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/11/07

(शशि शेखर शर्मा)
सचिव

ज्ञापांक– 6/आश्वा0–1–108/2001(खंड) – 1774 पटना, दिनांक 26/11/07

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य, राजस्व पर्षद/वित्त आयुक्त/अपर वित्त आयुक्त/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सचिव, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन एवं पंचायत राज / मंत्रिमंडल सचिवालय/ आयुक्त एवं सचिव(सभी प्रशासी विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी प्रमंडीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. सचिव /अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ यॉंत्रिक / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / प्रशाखा–4 एवं 6, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल / सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करावें।

(शशि शेखर शर्मा)
सचिव

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

....

संकल्प

....

संकल्प संख्या :- 6/वि० 1-102/2001 - 541 पटना, दिनांक : 25.1.03

विषय : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रतिनिधायित शक्तियों के लिए वित्तीय प्रबंधन प्रक्रिया ।

संविधान (73 वाँ संशोधन) अधिनियम, 92 के द्वारा संविधान के खण्ड - IX में अनुच्छेद-243 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिये गये हैं । इसके आलोक में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तहत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के कार्यों एवं शक्तियों के संबंध में प्रावधान है । इस प्रावधान के आलोक में मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार विभागीय संकल्प संख्या - 6/वि०-01-102/2001 - 1169, दिनांक-24.9.2001 द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को ग्रामीण पेयजलापूर्ति एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधित कार्यों के संबंध में शक्तियों का प्रतिनिधायन किया गया है, जिसके अनुसार पेयजलापूर्ति प्रक्षेत्र के अन्तर्गत चापाकलों के निर्माण तथा इसके मरम्मति का दायित्व एवं ग्रामीण स्वच्छता प्रक्षेत्र में स्वच्छता संबंधित कार्यों का कार्यान्वयन पंचायतों के माध्यम से कराया जाना है ।

विभिन्न कार्यक्रम यथा-योजना मद एवं गैर योजना मद के अंतर्गत चापाकलों के निर्माण एवं मरम्मति तथा स्वच्छता संबंधित कार्यों के लिये निधि का हस्तांतरण पंचायतों को दिया जाना है।

(i) गैर योजना मद के अंतर्गत मरम्मति एवं सम्पोषण कार्यों के लिये निधि पंचायतों को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाना है, जिसके लिये वित्त विभाग की सहमति से एक अलग बजट शीर्ष खोलकर पंचायतों को अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी जा रही है ।

(ii) योजना मद के अंतर्गत चापाकलों के निर्माण/विशेष मरम्मति तथा स्वच्छता संबंधित कार्यों के लिये पंचायतों को निधि विभाग द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से ए०सी० विपत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जानी है । पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्ति (एनेक्सर-1) के बाद डी०सी० विपत्र के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित किया जाना है ।

विभाग द्वारा जारी इस संकल्प में मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार यह प्रावधान है कि इस वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया का निर्धारण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, वित्त विभाग से परामर्श लेकर परिपत्र के रूप में निर्गत करेगा । योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय प्रबंधन निम्न प्रकार होंगे:-

निधि का आवंटन

(i) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत चापाकलों के निर्माण/पुनर्स्थापन/विशेष मरम्मति के स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये विभाग द्वारा आवंटित की गयी राशि को ए0सी0 विपत्र के माध्यम से निकासी कर पंचायतवार किये जाने वाले कार्यों के लक्ष्य के साथ पंचायतों को संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

(ii) वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश जिसके अन्तर्गत योजना मद की राशि को 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के चौमाही में 33%, 1 अगस्त से 30 नवम्बर तक के चौमाही में 32% तथा 1 दिसम्बर से 31 मार्च तक के चौमाही में 35% तक के व्यय का जो बंधेज है, उसके तहत विभाग द्वारा आवंटन किया जायेगा ताकि कार्यपालक अभियंता के स्तर पर विभाग द्वारा आवंटित राशि पंचायतों को दिये जाने के लिये पूरी तरह से विमुक्त हो ।

(iii) प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में चापाकलों के निर्माण कार्य से संबंधित जिला/लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के लिए निर्धारित लक्ष्य में से प्रखंडवार लक्ष्यों का निर्धारण जिला परिषद द्वारा किया जायेगा । इस प्रकार प्रखंड के लिए निर्धारित लक्ष्य का किस्तवार कार्यान्वयन के लिए पंचायतवार प्राथमिकता का निर्धारण पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा । पंचायत समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार पंचायतों को कार्यपालक अभियंता द्वारा निधि उपलब्ध करायी जायेगी ।

(iv) निधि एकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।

(v) पंचायतों के द्वारा विभाग से प्राप्त राशि को पंचायत के रोकड़ बही में अंकित किया जायेगा, परन्तु विभाग से संबंधित कार्यों पर व्यय का मदवार लेखा-जोखा एक कार्य रजिस्टर में अलग से अंकित किया जायेगा ।

योजनाओं का कार्यान्वयन

(i) चापाकलों के निर्माण एवं विशेष मरम्मति में लगने वाले सामग्रियों की विशिष्टताओं को विभाग द्वारा पंचायतों को उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसके आलोक में पंचायत द्वारा सामग्रियों का क्रय किया जायेगा ।

(ii) विभाग द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार सभी प्रकार के चापाकलों का मोडल प्राक्कलन पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(iii) चापाकलों के निर्माण एवं मरम्मति हेतु सामानों का क्रय पंचायत स्तर पर गठित क्रय समिति के माध्यम से किये जायेंगे । पंचायत स्तर पर गठित सुख-सुविधा समिति ही क्रय समिति होगी । जिन पंचायतों में सुख-सुविधा समिति का गठन नहीं हुआ है, वहाँ निम्न रूप से क्रय समिति का गठन किया जायेगा :-

1.	मुखिया	अध्यक्ष
2.	कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	सदस्य
3.	पंचायत सचिव	सदस्य

4. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक वार्ड सदस्य — सदस्य
5. एक महिला वार्ड सदस्य — सदस्य

इन पंचायतों में भी सुख-सुविधा समिति के विधिवत गठन होने के उपरान्त यह समिति स्वतः भंग हो जायेगी एवं सुख-सुविधा समिति ही क्रय समिति होगी

(iv) सामानों के क्रय की दरें बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अद्यतन क्षेत्रीय अनुसूचित दरों के अधीन रखे जायेंगे ।

(v) सामानों के क्रय बिक्री कर अनुबंधित आपूतिकत्ताओं से ही किये जायेंगे ।

(vi) मजदूरी मदों का भुगतान बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अनुसूचित दरों/राज्य श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा समय-समय पर प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार किया जायेगा ।

(vii) संपादित कार्यों को विभागीय माप पुस्तिका के अनुरूप पुस्तिका में अंकित करने एवं संधारित करने का दायित्व पंचायत का होगा । पंचायत द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से अगली किस्त की राशि कार्यपालक अभियंता द्वारा संतुष्ट होने पर पंचायतों को उपलब्ध कराई जायेगी ।

(viii) कार्यों के व्यय स्वीकृत प्राक्कलन में उपबंधित मदों एवं राशियों के अन्दर रखे जायेंगे।

(ix) स्वीकृत प्राक्कलित राशि से कम राशि के अन्दर कार्य पूरा हो जाने की स्थिति में शेष बचे राशि का उपयोग अन्य कार्य/कार्यों में नहीं किये जायेंगे । पंचायत इस प्रकार शेष बची राशि की सूचना संबंधित कार्यपालक अभियंता के माध्यम से विभाग को देगी और इस राशि के उपयोग के संबंध में विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और पंचायतों को मान्य होंगे ।

(x) स्वीकृत योजना के अनुसार कार्यपालक अभियंता द्वारा आवश्यक राशि पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा । स्वीकृत योजना राशि से योजना के कार्यान्वयन में अधिक व्यय होने पर बढ़ी हुई राशि का वहन पंचायत द्वारा अपने श्रोत से किया जायेगा ।

(xi) विभाग से संबंधित कार्यों के सम्पादन के लिए चयनित अभिकर्ता (ओं)/आपूर्तिकर्ता (ओं) द्वारा सम्पादित कार्यो/आपूरित सामानों की गुणवत्ता में त्रुटि पाये जाने या निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार कार्यों का सम्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई करने तथा किसी अन्य प्रकार के विवादों के निपटारे का दायित्व पंचायत का होगा ।

(xii) सम्पादित कार्यों के समतुल्य व्यय की राशि ही पंचायतों को अग्रिम के रूप में दिये गये राशि में से कार्यपालक अभियंता द्वारा समायोजित किया जायेगा ।

<u>लेखा का संधारण एवं उनका अंकेक्षण</u>

(i) विभाग से संबंधित कार्यों के लिए क्रय किये गये सामानों के लेखा का मासिक संधारण पंचायत द्वारा स्थल लेखा पंजी/पंजियों में किया जायगा, जिसमें सामानों की

प्राप्ति, कार्यों में उनका खपत तथा शेष सामान को मात्रा अंकित होंगे तथा पिछले माह के शेष सामान अगले माह में अग्रणीत किये जायेंगे । संबंधित विभागीय कनीय/सहायक अभियंता द्वारा सत्यापित स्थल लेखा पंजी ही प्रामाणिक माने जायेंगे।

(ii) पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यों से संबंधित लेखा का संधारण पंचायतों द्वारा किया जायगा परन्तु पंचायत विभागीय कार्यों से संबंधित व्यय को एक कार्य पंजी में अलग से अंकित करेंगी ।

(iii) कार्य से संबंधित प्रमाणकों का संधारण पंचायतों द्वारा किया जायेगा ।

(vi) पंचायत प्रत्येक माह के अन्तर्गत हुए व्यय की मदवार विवरणी एक विहित प्रपत्र (एनेक्सर-2) में अपने क्षेत्र से संबंधित कार्यपालक अभियंता को अगले माह के पाँच तारीख तक भेजना सुनिश्चित करेगी । महालेखाकार को डी0सी0 फार्म में लेखा भेजने में कार्यपालक अभियंता के लिये यह विवरणी प्रमंडलीय प्रमाणक माना जायेगा ।

(v) पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही इस विभागीय कार्य से संबंधित लेखा का अंकेक्षण विभिन्न पंचायतों द्वारा कराया जायेगा । राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (यथा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला पर्षद) की लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार पंचायतों को इस विभागीय कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि की लेखा के अंकेक्षण का अधिकार भी महालेखाकार को होगा ।

विभागीय पदाधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर पंचायत कार्यों से संबंधित सभी अभिलेख उन्हें उपलब्ध करायेगी तथा विभागीय जाँच/तकनीकी की अंकेक्षण आदि कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी ।

प्रगति प्रतिवेदन

आवंटित राशि एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि का मासिक/त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्दिष्ट प्रपत्र (एनेक्सर-3) में पंचायत द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को विहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए ।

विहार राज्यपाल के आदेश से
ह०-
(पी० एन० नारायणन)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक-6वि० 1-102/2001-541 दिनांक : 25.1.03

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य राजस्व परिषद/वित्त आयुक्त/अपर वित्त आयुक्त/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सचिव, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन एवं पंचायत राज/मंत्रिमंडल सचिवालय/आयुक्त एवं सचिव (सभी प्रशासी विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
2. सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
4. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (नागरिक) / मुख्य अभियंता (यांत्रिक)/विशेष पदाधिकारी/प्रा0स0 (ग्रामीण)/संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्र0क0)/ उप निदेशक (मू0) / अन्वेषण/कार्यपालक अभियंता (मो0)/ (मो0/मू0)/ विशेष पदाधिकारी के तकनीकी सलाहकार/परियोजना पदाधिकारी/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
6. अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करावें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०-

(पी० एन० नारायणन)

आयुक्त एवं सचिव

64

एनेक्सर - 3

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल .... से प्राप्त अग्रिम राशि के विरूद्ध कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

माह -

1. पंचायत का नाम :
2. प्रखण्ड का नाम :
3. जिला का नाम :
4. योजना का नाम :
5. भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

क्रमांक	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत राशि	अद्यतन प्राप्त राशि	वितीय उपलब्धि			भौतिक उपलब्धि				अभ्युक्ति
				गत माह तक खर्च	वर्त्तमान माह में खर्च	कुल खर्च	लक्ष्य	गत माह तक उपलब्धि	वर्त्तमान माह में उपलब्धि	अद्यतन उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

हस्ताक्षर

मुहर

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

....

संकल्प

....

संकल्प संख्या :- 6/वि० 1-102/2001 - 1169 पटना, दिनांक : 24.9.01

विषय : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित कार्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को शक्तियों के प्रतिनिधायन ।

बिहार पंचायत राज अधिनियम-1993 के अंतर्गत ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् को ग्रामीण पेयजलापूर्ति एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधित कार्यों के संबंध में शक्तियों का प्रतिनिधायन किया गया है । सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित कार्यों के लिए शक्तियों का प्रतिनिधायन निम्नवत् किया जाता है :-

1. <u>जिला परिषद का कार्य/शक्ति</u>

क्रमांक	विषय	कार्य/शक्ति
I.	ग्रामीण जलापूर्ति (चापाकल)	I. प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में चापाकलों के निर्माण हेतु पंचायतों का चयन जिला परिषद् द्वारा किया जाएगा ।
II.	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति	II.(क) अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक निधि से अगर कम निधि उपलब्ध हो तो योजनाओं को पूर्ण करने की प्राथमिकता जिला परिषद् की सहमति से निर्धारित की जाएगी । (ख) नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं का चयन जिला परिषद के स्तर से किया जाएगा ।

65

III.	ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं का पर्यवेक्षण	III.	अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण जिला परिषद द्वारा विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से किया जायेगा ।
IV.	ग्रामीण स्वच्छता	IV.	ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत 11 चयनित जिलों में जिला स्तर पर गठित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, जो पकल्प के नाम से निबंधित है, जिला परिषद के सामान्य पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं मार्ग-दर्शन के अन्तर्गत कार्य करेगा । अन्य जिलों में भी यह कार्य जिला परिषद के सामान्य पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं मार्ग-दर्शन में कराया जाएगा ।
V.	कर्मचारियों की सेवा	V.	कार्यपालक अभियंता, जिला परिषदों की बैठकों में भाग लेंगे । इन्हें आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति जिला परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद द्वारा दी जायेगी । विभागीय बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु इसकी सूचना देनी होगी ।

2. पंचायत समिति का कार्य/शक्ति

क्रमांक	विषय		कार्य/शक्ति
I.	ग्रामीण जलापूर्ति (चापाकल)	I.	पंचायत समिति ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए चापाकल के निर्माण एवं मरम्मत कार्य का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगी ।
II.	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं का पर्यवेक्षण	II.	अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण पंचायत समिति द्वारा विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से किया जाएगा ।
III.	कर्मचारियों की सेवा	III.	सहायक अभियंता/कनीय अभियंता पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेंगे । चापाकलों के रख-रखाव हेतु वर्क सरकार, नलकूप मिस्त्री/खलासी तथा पाईप जलापूर्ति योजनाओं के रख-रखाव हेतु पम्प चालक/खलासी एवं प्लंबिंग मिस्त्री पंचायत समिति के निदेश एवं नियंत्रण पर कार्य करेंगे । उन्हें आकस्मिक अवकाश तथा मुख्यालय त्याग करने की अनुमति पंचायत समिति के प्रमुख के अनुमोदन के पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी - सह - कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति द्वारा दी जायेगी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर उनका वेतन- भुगतान वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा ।

3. <u>ग्राम पंचायत का कार्य/शक्ति</u>

क्रमांक	विषय	कार्य/शक्ति
1.	ग्रामीण जलापूर्ति (चापाकल)	1. (क) चापाकलों के साधारण एवं विशेष मरम्मति का कार्य पंचायत द्वारा किया जाएगा । (ख) नये चापाकलों के स्थल चयन एवं निर्माण का दायित्व ग्राम पंचायत का होगा । (ग) केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत बंद चापाकलों के स्थान पर नये चापाकलों के निर्माण के लिए स्थल का चयन एवं योजना का कार्यान्वयन पंचायत द्वारा किया जाएगा । (घ) सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत नये चापाकलों के निर्माण कार्य/चापाकलों के मरम्मत कार्य में आवश्यक तकनीकी सहयोग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य अभियंताओं आदि द्वारा किया जायेगा । नये चापाकलों के निर्माण के लिए राशि की निकासी कार्यपालक अभियंता द्वारा कर उसे अग्रिम के रूप में संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी । इससे संबंधित प्रक्रिया के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग वित्त विभाग से परामर्श कर परिपत्र निर्गत करेगा। (ङ) सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत चालू (अपूर्ण)

योजनाओं का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ही किया जाएगा।

(च) प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में चापाकलों के निर्माण का कार्य पंचायत द्वारा किया जाएगा, किन्तु पंचायत का चयन जिला परिषद द्वारा किया जाएगा । पंचायत के अन्तर्गत किस स्थल पर चापाकल का निर्माण किया जाएगा, इसका निर्धारण ग्राम पंचायत करेगी ।

(छ) चापाकलों का निर्माण विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा ।

(ज) ग्राम पंचायतें प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के वैसे टोलों/गाँवों में चापाकल का निर्माण करेगी, जहाँ पेयजल की समस्या है ।

(झ) चापाकलों के निर्माण एवं मरम्मति हेतु आवश्यक राशि विभाग द्वारा प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी । ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलम्ब किये जाने पर उत्तरदायी पदाधिकारी के विरूद्ध ग्राम पंचायत कार्रवाई करने की अनुशंसा करेगी।

(ट) ग्राम पंचायत के कार्यो में असहयोग करने पर भी संबंधित कर्मी/अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा ग्राम पंचायत करेगी ।

II.	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं का पर्यवेक्षण :	II. अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण ग्राम पंचायत द्वारा विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से किया जाएगा ।
III.	ग्रामीण स्वच्छता	III.(क) इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पव्ययी शौचालयों के निर्माण हेतु गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों का चयन पंचायत द्वारा किया जाएगा । (ख) ''प्रकल्प'' द्वारा ग्राम्य स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता समिति गठित कराकर इस कार्यक्रम को ग्राम पंचायत की सुख-सुविधा समिति के माध्यम से कार्यान्वित कराया जाएगा । (ग) गैर ''प्रकल्प'' जिलों में भी यह कार्य सुख-सुविधा समिति के माध्यम से कार्यान्वित कराया जाएगा ।

4. <u>पंचायत राज संस्थाओं को निधि अंतरण की प्रक्रिया</u>

क. पंचायत संस्थाओं को दी जाने वाली राशि यदि सम्प्रति राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय के रूप में की जा रही हो, यथा वेतन, अनुरक्षण व्यय इत्यादि, तो वैसी राशि इन संस्थाओं को अनुदान के रूप में विमुक्त की जाएगी । वैसे व्यय जो पूँजीगत शीर्षों से विकलित हो रहे हैं और जिन्हें पंचायत राज संस्थाओं को अंतरित किया जाएगा, उन्हें इन संस्थाओं को ए0 सी0 विपत्र के आधार पर निकासी कर उपलब्ध कराया जाएगा । ए0 सी0 विपत्र से कोषागार से राशि निकासी करनेवाले पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि के उपयोग के पश्चात् संबंधित अभिश्रवों को डी0 सी0 विपत्र के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करें ।

ख. विभाग द्वारा जो राशि पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान के रूप में अथवा ए0 सी0 विपत्र

के आधार पर निकासी कर दी जाएगी. उनका प्रावधान संगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत निम्न वर्णित लघु शीर्षों के अन्तर्गत किया जाएगा :-

स्थानीय निकाय		लघु शीर्ष
पंचायती राज संस्थाएं	जिला परिषद	196
	पंचायत समिति	197
	ग्राम पंचायत	198

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०-
(के० के० पाण्डेय)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक - 6/वि0 1-102/2001 - 1169 दिनांक : 24-9-01

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य राजस्व परिषद/वित्त आयुक्त/अपर वित्त आयुक्त/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सचिव, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन एवं पंचायत राज/मंत्रिमंडल सचिवालय/आयुक्त एवं सचिव (सभी प्रशासी विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
2. सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

68

4. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (नागरिक)/मुख्य अभियंता (यांत्रिक)/ विशेष पदाधिकारी/प्रा0 स0 (ग्रामीण) / संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्र0 को0) / उप निदेशक (मू0) / अन्वेषण/कार्यपालक अभियंता (मो0) / (मो0/मू0) / विशेष पदाधिकारी के तकनीकी सलाहकार/परियोजना पदाधिकारी/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

5. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6. अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करावें ।

ह०-

(के० के० पाण्डेय)

सरकार के सचिव